ST. R. C. CONVENT SCHOOL

UNN, PINDORA (SHAMLI) U.P. - 247778

E-mail : strcpindora@gmail.com

Tel.: 7533838520

Ref No. STRC/AFF/MEMO/2021-22

Date : 23/3/2022

सेवा में,

Reg. No. SS-02666-2223 के सन्दर्भ में)

उप सचिव (सम्बद्धता)
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
प्रीत विहार दिल्ली–110092

विषयः–राज्य सरकार के सम्बन्धित बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन यह है कि उक्त विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली के पत्रांक मान्यता / 16799–100 / 2014–15 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय को दिनांक 25.03.2015 से 24.03.2018 तक 3 वर्षों की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिये मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात् सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्ड़ल सहारनपुर के आदेश पत्रांक म0स0शि0नि0(बे0) / 1833–36 / 2019–20 दिनांक 24.12.2019 द्वारा लोटस वैली पब्लिक स्कूल, पिण्डौरा (शामली) का नाम परिवर्तित कर **सैन्ट आर0सी0 कॉन्वेंट स्कूल, पिण्डौरा** विकास क्षेत्र–ऊन जनपद–शामली किया गया था। विद्यालय के स्थायीकरण के आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2022 के अनुक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली के आदेश पत्र पत्रांक मान्यता / 15649–50 / 2021–22 दिनांक 19.03.2022 द्वारा विद्यालय की मान्यता स्थायी रूप से अनुमन्य की गयी है। जिसकी प्रमाणित छायाप्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है। एवंम विद्यालय की वेबसाइट https://strcconventschool.in/ पर भी अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक–1. मान्यता स्थायीकरण पत्र की छायाप्रति।
2. विभाग द्वारा निर्गत मान्यता पत्र की छायाप्रति।

भवदीय।

MANAGER
ST. R.C. C... VENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–शामली

पत्रांकःमान्यता / 15649-50 / 2021–22 दिनांकः 19-3-2022

सेवा में,
प्रबन्धक,
सैन्ट आर0सी0 कॉन्वेंट स्कूल,
पिण्डौरा, विकास क्षेत्र–ऊन
जिला–शामली।

महोदय,

आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांकःमान्यता / 16799–100 / 2014–15 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक अग्रेंजी माध्यम **(विद्यालय मान्यता कोड संख्याक 03)** की मान्यता का पत्र निर्गत किया गया था।

आपके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2022 द्वारा विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण का आवेदन किया है। आपके आवेदन दिनांक 07.03.2022 के अनुक्रम में आपको अवगत किया जाता है कि शासनादेश संख्या / 418 / 79–6 / 2013–18 एस (एस) / 89 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार **" प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक रूप से मान्यता तीन वर्षो के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथा संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"**
खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र ऊन जनपद–शामली की जांच आख्या दिनांक 12.03.2022 के अनुसार उक्त विद्यालय का कोई भी प्रतिकूल तथ्य अद्यतन संज्ञानित नहीं हुआ है। इसलिए उक्त विद्यालय की मान्यता स्थायी रूप से अनुमन्य की जाती है।

अतः उक्तानुसार आपका आवेदन दिनांक 07.03.2022 निस्तारित किया जाता है।

भवदीय।
19-3-2022
(गीता वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

पृ0सं0– मान्यता / —— / 2021–22 दिनांकःउक्तवत

प्रतिलिपिः–1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र ऊन जनपद–शामली को उनकी जांच आख्या दिनांक 12.03.2022 के अनुक्रम सूचनार्थ एवंम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गीता वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद शामली।

पत्रांकःम.सं.शि.नि.(बे.)/ /2019-20 दिनांक:24.12.19

विषय:अशासकीय मान्यता प्राप्त लोटस वैली पब्लिक स्कूल पिण्डौरा विकासक्षेत्र ऊन शामली का नाम परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0/बे0/12087-88/2019-20 दिनांक 18.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसमें उन्होंने लोटस वैली पब्लिक स्कूल पिण्डौरा विकासक्षेत्र ऊन शामली का नाम परिवर्तित कर सेन्ट आर.सी. कान्वेट स्कूल पिण्डौरा विकासक्षेत्र ऊन शामली करने हेतू प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया है। पत्र के साथ प्रबंध समिति का प्रस्ताव दिनांक 28.05.2019 संलग्न है। नाम परिवर्तन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली द्वारा दी गयी संस्तुति उपरान्त सचिव उ0प्र0 बे0शि0 परिषद इलाहाबाद के पत्रांक बे0शि0प0/ सामान्य(5)/24445-532/94-95 दिनांक 23.05.1995 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत लोटस वैली पब्लिक स्कूल पिण्डौरा विकासक्षेत्र ऊन शामली का नाम परिवर्तन कर सेन्ट आर.सी. कान्वेट स्कूल पिण्डौरा विकासक्षेत्र ऊन शामली किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि भविष्य में पुनः वर्तमान नाम पर उक्त विद्यालय संचालित नही किया जायेगा न ही विद्यालय का स्थान परिवर्तन किया जायेगा। तथा विद्यालयतंत्र द्वारा मान्यता की नवीन शर्तो को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(राज सिंह यादव)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

पृ.सं.:म.स.शि.नि.(बे.)/ 1833-36 /2019-20 दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपिः-1-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2-खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासक्षेत्र ऊन शामली।

3-प्रबंधक, लोटस वैली पब्लिक स्कूल पिण्डौरा विकासक्षेत्र ऊन शामली

24/12/19

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

लोटस वैली पब्लिक स्कूल, पिण्डौरा,
विकास क्षेत्र ऊन,
जनपद शामली।

पत्रांक / मान्यता / 16799-100 / 2014–15 दिनांक :- 25-03-15

विषय:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मै लोटस वैली पब्लिक स्कूल, पिण्डौरा, विकास क्षेत्र ऊन, जनपद शामली को तारीख 25.03.2015 से तारीख 24.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 के लिए अनंतिम मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

Monika Chaudhary
PRINCIPAL
St. R. C. Convent School
Pindora (Shamli)

Manager
St. R. C. Conven. School, Pindora

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

➢	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—	6150 वर्ग मी॰
➢	कुल निर्मित क्षेत्र	—	12000 वर्ग फुट
➢	कीडा स्थल का क्षेत्रफल	—	है
➢	कक्षाओं की संख्या	—	नर्सरी से आठ तक
➢	प्रध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	—	उपलब्ध है
➢	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	—	है
➢	पेयजल सुविधा	—	उपलब्ध है
➢	मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई	—	नहीं है
➢	बाधारहित पहुँच	—	है
➢	अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	—	है

Manager
St. R.C. Convent School, Pindora

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

Monika Chaudhary
PRINCIPAL
St. R. C. Convent School
Pindora (Shamli)

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 03 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17. विद्यालय के उपलब्ध स्थान के कक्षा–कक्षों में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट तक की सीमा तक ही प्रवेश सुनिश्चित करें।

18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

पृ०सं० / मान्यता / /2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद शामली।
3. कार्यालय गार्ड पत्रावली ।

Monika Chaudhary

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

Manager
... School, Pindora

PRINCIPAL
St. R. C. Convent School
Pindora (...)